

कार्यालय, निदेशक माध्यमिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर

क्रमांक:-शिविरा/मा/हिनि/28203/2017-18/

दिनांक:- 11/9/18

समस्त उप निदेशक (माध्यमिक/प्रारम्भिक शिक्षा)

समस्त जिला शिक्षा अधिकारी (माध्यमिक/प्रारम्भिक शिक्षा)

समस्त ब्लॉक शिक्षा अधिकारी

समस्त विशिष्ट संस्थायें।

विषय:- 2017-18 के लिये हितकारी निधि वार्षिक अंशदान बाबत।

संदर्भ:- इस कार्यालय का पत्रांक 14.07.18

उपरोक्त विषय में लेख है कि हितकारी निधि कि 29वीं बैठक में लिये गये निर्णय अनुसार जिन शिक्षा विभागीय कार्मिकों द्वारा वर्ष 2017-18 का अंशदान जमा करा दिया है, उन्हें नियमित अंशदाता माना जावेगा। अतः जिनके द्वारा अभी तक 2017-18 का अंशदान जमा नहीं करवाया है, वे तुरन्त निर्धारित अंशदान जमा करवाकर नियमित अंशदाता बनें, इसके अभाव में हितकारी निधि द्वारा विभिन्न योजनाओं के तहत दी जाने वाली आर्थिक सहायता वितरित नहीं की जा सकेगी।

अतः उक्त आशय कि सूचना आप अपने समस्त अधिनस्थों को प्रेषित करने का श्रम करें ताकि सभी कार्मिक नियमित अंशदाता बन सकें।

सत्र 2018-19 (दिसम्बर Paid in Jan. 2019) से नियमित अंशदान कि कटौती वेतन से सीधे ही प्राप्त करने सम्बन्धी कार्य प्रगति पर है जिसके बारे में विस्तृत विवरण/दिशा निर्देश अलग से प्रेषित किया जावेगा।

उप निदेशक (प्रशासन)
एवं सचिव हितकारी निधि
माध्यमिक शिक्षा राजस्थान
बीकानेर

प्रतिलिपि:- निम्न को वास्ते सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. समस्त अनुभाग अधिकारी(माध्यमिक/प्रारम्भिक शिक्षा)
2. शाला दर्पण, वेबसाईट पर प्रकाशनार्थ।

उप निदेशक (प्रशासन)
एवं सचिव हितकारी निधि
माध्यमिक शिक्षा राजस्थान
बीकानेर